

लोक-सुनवाई का वृत्त

सर्वश्री विनय कंस्ट्रक्शन, जिला- नवादा द्वारा किउल नदी स्थित मौजा- झिनौरा स्थित किउल नदी क्लस्टर सं०- 1, रेत ब्लॉक संख्या- 3 एवं 4 (कुल क्षेत्रफल- 14.9 एवं 29.04 हेक्टेयर), प्रखंड- चानन, जिला- लखीसराय में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक-सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक 25.05.2023 को अपराह्न 03:00 बजे ई-किसान भवन, चानन ब्लॉक परिसर, जिला- लखीसराय के प्रांगण में लोक-सुनवाई की गयी।

यह लोक-सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी०ओ०आर० (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/ 2071/ 2022, दिनांक 11.01.2023 के आलोक में श्री सुधांशु शेखर, अपर समाहर्ता एवं अपर डंडाधिकारी, लखीसराय की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

प्रसंगाधीन लोक-सुनवाई की सूचना पर्वद्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा- "द टाइम्स ऑफ इंडिया", "हिन्दुस्तान टाइम्स", "दैनिक भास्कर" तथा "दैनिक जागरण" के माध्यम से दिनांक 21.04.2023 को प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री एस.पी.राय, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्व, बरौनी, बेगूसराय के द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक-सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतिश कुमार ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरणीय दायित्व आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि-

1. यह बालू खनन पट्टा किउल नदी स्थित मौजा- झिनौरा स्थित किउल नदी क्लस्टर सं०- 1, रेत ब्लॉक संख्या- 3 एवं 4 (कुल क्षेत्रफल- 14.9 एवं 29.4 हेक्टेयर), प्रखंड- चानन, जिला- लखीसराय में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा विनय कंस्ट्रक्शन को इस खनन पट्टा के लिए वैधन्तिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक संख्या- 3 एवं 4 में क्रमशः प्रतिवर्ष 1,85,058 टन तथा 3,65,148 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹11.04 करोड़ (नीलामी लागत सहित) अनुमानित है।





2. बालू खनन खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए हैं।
3. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर अनुमोदित खनन योजना के अनुरूप सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
4. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। इस मार्ग के रख-रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
5. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
6. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
7. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों जैसे- मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
8. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
9. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दबाव वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्रित किए गए खनिज (बालू) को ही निर्गत किया जाएगा।
10. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन कम-से-कम तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देता खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय-समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

h

6

खनन पर पड़ने वाले लोगों को

योजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं-


क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री मंजीत कुमार, ग्राम- झिनौरा, प्रखण्ड-चानन, लखीसराय के द्वारा इस योजना में स्थानीय रोजगार के अवसर पर जानकारी मांगी गई।।	खनन के कार्य में गांव के आसपास के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें मजदूर, दुलाई, चालक, रात्रि प्रहरी आदि शामिल होंगे। इसके लिए कैम्प लगाकर तथा ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय लोगों को विभिन्न रोजगार की सूचना दी जाएगी।
2.	श्री गुलशन कुमार, ग्राम- झिनौरा, प्रखण्ड-चानन, लखीसराय पूछा गया कि खनन कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले मार्ग में पड़ने वाले निजी जमीन के लिए क्या मुआवजा देय है।	परियोजना प्रस्तावक के द्वारा आश्वासन दिया गया कि ग्राम सभा के माध्यम से मुआवजा के राशि का निर्धारण किया जाएगा।
3.	श्री राजेश कुमार, पिता- श्री सोनेलाल रजक, ग्राम- झिनौरा, प्रखण्ड- चानन, लखीसराय के द्वारा बालू खनन से जो रेत सड़कों पर जमा होगा। इसके रोकथाम की के उपायों की जानकारी मांगी गई।	धूलकणों को रोकने के लिए सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। रास्तों पर कम-से-कम तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। स्कूल के समय में बालू का दुलाई नहीं किया जाएगा। साथ ही बालू का दुलाई तिरपाल से ढक कर किया जाएगा।
4.	श्री अमरजीत पासवान, ग्राम- झिनौरा, चानन, के द्वारा बालू दुलाई वाहनों की गति को नियंत्रित रखे जाने का सुझाव दिया जिससे दुर्घटना की स्थिति न उत्पन्न हो।	खनन परियोजना में प्रयोग में आने वाले वाहनों पर खनन ब्लॉक संख्या अंकित किया जाएगा। साथ ही वाहनों पर कंपनी का नाम भी अंकित किया जाएगा।
5.	श्री दिलीप यादव, पिता- श्री रामदास यादव, ग्राम- झिनौरा, चानन, लखीसराय के द्वारा स्थानीय रोजगार तथा धूलकणों के नियंत्रण की जानकारी मांगी गई।	परियोजना प्रस्तावक के द्वारा आश्वासन दिया गया कि सघन वृक्षारोपण, रास्तों पर तीन बार जल छिड़काव एवं बालू को तिरपाल से ढक कर ही दुलाई किया जाएगा। लोगों के रोजगार के लिए ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जाएगा।
6.	श्री उपेन्द्र राम, ग्राम- झिनौरा, प्रखण्ड-चानन, लखीसराय के पूछा गया कि खनन से गांव का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। इसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे।	बालू खनन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि के द्वारा 1 मीटर की गहराई तक की जाएगी। खनन का कार्य भूगर्भीय जल स्तर से नीचे नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही गांव के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए Rain Water Harvesting को प्रयोग में लाया जाएगा।

m


Lu

लोक-सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्याधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रण हेतु वर्णित उपायों के अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा।

लोक-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्येक बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक-सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।









क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०पर्षद्,
बेगूसराय।





अपर समाहर्ता
लखीसराय।

उपस्थिति सूची

सर्वश्री विनय कंसट्रक्शन, जिला- नवादा के द्वारा लखीसराय जिला के अन्तर्गत मौजा- झिनौरा स्थित किउल नदी कलस्टर सं०- I, रेत ब्लॉक संख्या- 3 एवं 4 (कुल क्षेत्रफल- 14.9 एवं 29.04 हेक्टेयर), प्रखंड- चानन, जिला- लखीसराय में प्रस्तावित बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व ई-किसान भवन, चानन ब्लॉक परिसर, जिला- लखीसराय के प्रांगण में दिनांक 25.05.2023 (गुरुवार) को अपराह्न 03:00 बजे आयोजित लोक-सुनवाई में स्थानीय लोगों एवं पदाधिकारीगण की स्व:हस्ताक्षरित उपस्थिति-

क्र०सं०	नाम/पदनाम	पता	हस्ताक्षर
1	सुधांशु शर्मा	झरर जिला इंसाफिकरी एवं झरर प्रशासनी, लखीसराय।	 25/05/23
2	श्री एल. पी. शाय मंत्रालय पदाधिकारी	लखीसराय प्रभु पंचक, वरौली बस, एलए,	
3	रजनीश झा (MPO, Lakhisarai)	सुनिता निवास पदा, लखीसराय	 25/05/2023
4	पियंका कुमारी BDO, Chanan	Block chanan	 25/05/23
5	मौनिका सिन्हा BPRO Chanan	Chanan Block	 25/5/23
6	Nitish Kumar पर्या. सलाहकार	Raja Barua Patna	 Nitish Kumar
7	रंजन पासकान	मिर्जापुर	रंजन पासकान
8	मोहन पांडे	मिर्जापुर	मोहन
9	अशोक यादव	तेरहट लखीसराय	अशोक यादव
10	बालू झा	झिनौरा लखीसराय	बालू झा
11	समय यादव	झिनौरा लखीसराय	
12	सुधीर शर्मा	झिनौरा लखीसराय	
13	संजु कुमारी	झिनौरा लखीसराय	संजु कुमारी

14	दोटेनाल पावठ	बिनौरा	दोटेनाल पावठ
15	अंकुश राज	रामपुर	Ankush Raj
16	अंकुश JAYLSHANK	रामपुर	Jaylshank
17	सनील महता	सिनौरा	सनील महता
18	राजेश कुमार	सिनौरा	Rajesh Kumar
19	इवलेश कुमा	सिनौरा	इवलेश कुमा
20	मनाल साव	रामपुर	मनाल साव
21	प्रमोद भादव	सिनौरा	प्रमोद भादव
22	मन्तु कुमार	सिनौरा	मन्तु कुमार
23	विमल रा डल	सिनौरा	विमल रा डल
24	मनीष कुमा	सिनौरा	मनीष रात्र
25	उमीला देवी	रामपुर	
26	शीमा देवी	सिनौरा	
27	केदार सिंह	सिनौरा	
28	रामेश्वर महता	रामपुर	रामेश्वर महता
29	कामेश्वर राम	सिनौरा	कामेश्वर राम
30	सुधीर राम	सिनौरा	सुधीर राम
31	वृद्धमन मंडल	रामपुर	वृद्धमन मंडल

32	Mithlesh Singh	Rampur	Mithlesh
33	मोती राम	खिनौरा	
34	प्रदलाप राम	खिनौरा	प्रदलाप राम
35	राहुल कुमार	खिनौरा	राहुल कुमार
36	Rakesh Kumar	"	Rakesh Kumar
37	Rajesh Kumar	Jhinora	Rajesh Kumar
38	मोती यादव		मोती यादव
39	पंकज यादव	खिनौरा	पंकज यादव
40	Rahul Kumar	Jhinora	Rahul Kumar
41	Ramad Yadav	"	Ramad Yadav
42	हीरा यादव	"	हीरा यादव
43	मुन्नी राम	खिनौरा	
44	Pramanad Yadav	Jhinora	Pramanad Yadav
	प्रमोद कुमार	खिनौरा	प्रमोद कुमार
	Prem Kumar	Tetrahal	Prem
	दिनेश यादव	खिनौरा	दिनेश
	अमर कुमार	Tetrahal	अमर